मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया।

संदर्भ :– (1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/आ.प्र/एक दिनांक 1 अगस्त, 1996.
(2) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/आ.प्र/एक दिनांक 12 मार्च, 1997.

————————

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को निम्नांकित कार्यों के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है:–

(1) **शैक्षणिक सुविधाओं के लिये** – राज्य शासन द्वारा देय शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त करने, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने, शिक्षण तथा अन्य शुल्क की छूट और पाठ्य सामग्री प्राप्त करने आदि ।

(2) **शासकीय सेवा तथा अन्य लाभ लेने के लिये** – लोक सेवा एवं पदों में आरक्षण का लाभ, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन तथा शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने आदि।

2. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 1 अगस्त, 1996 द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं परिपत्र दिनांक 12 मार्च, 1997 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयॉ आ रही हैं। उपरोक्त परिपत्रों में निर्धारित नीति के अंतर्गत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से राज्य शासन निम्नानुसार सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित करता है :–

(क) छात्र–छात्राओं के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया (कक्षा–1 से 8 तक)

क0	चरणबद्ध प्रकिया	अधिकतम निर्धारित तिथि
1.	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग का यह दायित्व होगा कि जाति प्रमाण पत्र के फार्म शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिवस के अंदर अपने मण्डल संयोजकों के माध्यम से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराएंगे।	प्रतिवर्ष **15 जुलाई** तक.
2.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से यह आवेदन पत्र आवश्यकतानुसार स्कूलों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक को प्रदाय किये जाएंगे।	———
3.	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र का प्रारूप वितरित किये जाएंगे।	**30 जुलाई** तक
4.	जिन छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र 15 दिवस के अंदर वापिस प्राप्त नहीं होते हैं, उनके पालक/अभिभावकों को स्कूलों में ही बुलवा जाएगा। प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र की समक्ष में पूर्ति करवाएंगे/करेंगे और समक्ष में हस्ताक्षर करवा कर **वापिस** प्राप्त किये जायेंगे।	**20 अगस्त** तक
5.	शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ ही वितरित किया जाएगा। उसकी पूर्ति कर आवेदन पत्र के साथ ही जमा करना होगा। इस पर नोटरी की सील आदि न होकर वह एक घोषणा पत्र के रूप में होगा। नायब तहसीलदार/तहसीलदार अपने स्तर पर कार्यवाही करते समय इसे अभिप्रमाणित करेंगे और आवश्यकता होने पर नोटरी से नोटराइज भी करा सकेंगे। इसका आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।	———————
6.	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक प्राथमिक परीक्षण कर जाति का सत्यापन करेंगे और कॉउन्टर हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र संबंधित राजस्व अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। यदि प्राथमिक जॉच में किसी आवेदक को संबंधित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अयोग्य पाया जाता है तो स्पष्ट टीप अंकित कर दी जाए किन्तु किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र निरस्तीकरण की सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अधिकृत उप जिलाध्यक्ष द्वारा ही जारी की जाएगी।	**30 अगस्त** तक
7.	अशासकीय स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राओं के जाति प्रमाण–पत्र बनाने के लिये यही प्रक्रिया होगी, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा छानबीन हेतु लगाये जाने वाले कैम्पों में अपने संकूल के स्कूलों में आवेदकों को उपस्थित	

	होना होगा।	
8.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कार्यालय में उक्त आवेदन प्राप्त होने पर उसे रजिस्ट्रर में दर्ज किये जाएंगे। तत्पश्चात् स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र की नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा आवश्यक छानबीन प्रारम्भ की जाएगी। **इस हेतु ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायत/नगर पालिका/निगम वार्डवार स्कूलों में कैम्प लगाये जाएं।** कैम्प की तिथि के साथ संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/वार्ड के आवेदकों की सूची सरपंच/पार्षदों, संबंधित पटवारी एवं मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग को देते हुये कैम्प में रिकार्ड सहित उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जांए।	
9.	उक्त जॉच प्रक्रिया तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के दौरान जाति प्रमाण पत्र के अभाव में छात्र–छात्राओं को उन्हें मिलने वाली सुविधा से वंचित नहीं किया जाए। बल्कि जिन छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र स्थाई जाति प्रमाण पत्र के लिये अग्रेषित किये गये हैं, उन्हें **सरपंच/पार्षद** द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जाए। **यह सुविधा सिर्फ कक्षा–1 से 8 तक प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के लिये ही लागू होगी। साथ ही उस प्रथम वर्ष के लिये होगी जिस वर्ष जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया है।**	
10.	आवेदकों की जाति तथा निवास अवधि के संबंध में रिकार्ड का परीक्षण कर आवेदक, सरपंच/पार्षद एवं अन्य व्यक्तियों के मौके पर ही साक्ष्य लेकर अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट के साथ प्रकरण/आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत किये जाएंगे।	**30 नवम्बर तक**
11.	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्र स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये पंजीयन किये जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।	
12.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कलेक्टर द्वारा अधिकृत उप जिलाध्यक्षों द्वारा **स्थाई (लेमिनेटेड) जाति प्रमाण पत्र जारी कर** संबंधित तहसील कार्यालय को भेजे जाएंगे। तहसील कार्यालय से प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के माध्यम से **स्कूलों में** ही आवेदकों को प्रदाय किये जाएंगे।	**31 दिसम्बर तक**
13.	यदि राजस्व अधिकारी किसी आवेदक से अतिरिक्त पूछताछ की आवश्यकता समझते हैं, तो वे संबंधित आवेदक को लिखित सूचना से कार्यालय में बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। किन्तु किसी भी स्थिति में आवेदक को एक बार से अधिक न बुलाया जाए।	
14.	जॉच उपरान्त यदि कोई आवेदक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं पाया जाता है तो उनका आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये निरस्त किया जाए। इसकी सूचना उस शिक्षण सत्र की समाप्ति के पूर्व संबंधित आवेदक को देना जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में	31 जनवरी तक

	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के संबंधित छात्र/छात्रा को देय सुविधा तत्काल बंद कर दी जाएगी।	

(ख) सीधे प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के वे व्यक्ति, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान (कक्षा 8वी) तक स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश/लोक सेवा एवं पदों में आरक्षण या शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, को स्थाई (लेमिनेटेड) जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) आवेदक नायब तहसीलदार/तहसीलदार के कार्यालय से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र की सही–सही पूर्ति कर निर्धारित शपथ पत्र के साथ उसी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जाति तथा निवास की पुष्टि हेतु जो भी दस्तावेज उपलब्ध हो, उनकी प्रतियॉ आवेदक आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करेंगे।

(2) नायब तहसीलदार/तहसीलदार कार्यालय द्वारा आवेदक को प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। इसमें स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की संभावित तिथि अंकित की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में 6 माह के बाद की न हो। आवेदन पत्र को रजिस्ट्र में दर्ज किया जाएगा। तत्पश्चात् आवेदक की जाति, उसकी वर्तमान पते पर निवास अवधि, आय (अन्य पिछड़े वर्गों के प्रकरणों में) आदि के संबंध में जॉच यथासंभव उपरोक्त **कंडिका–2 (क)** 8 में उल्लेखित प्रक्रिया के साथ ही की जाए। यदि किसी कारण से उक्त प्रक्रिया के साथ जॉच संभव न हो या आवेदन बाद में प्राप्त हुये हों तो आवेदन प्राप्ति के **अधिकतम 3 माह में** पृथक से जॉच कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रेषित किये जाएं।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम **दो माह** के अंदर स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी कर तहसीलदार/नायब तहसीलदार कार्यालय को भिजवाएंगे। वहॉ से संबंधित आवेदक को प्रदाय किये जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में **अधिकतम 6 माह से अधिक की अवधि न ली जाए।**

(4) यदि किसी आवेदक के संबंध में जॉच उपरान्त यह पाया जाता है कि वे नियमों के अधीन संबंधित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं, उनका आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये निरस्त किया जाए। इसकी सूचना अधिकतम 6 माह के अंदर आवेदक को दी जाना चाहिए।

(ग) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के लिये प्रक्रिया

मान0 सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों में दिये गये गये न्याय दृष्टांत तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये वर्ष 1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये दिनांक

26–12–84 या उसके पूर्व की स्थिति में संबंधित व्यक्ति उस राज्य में निवास करता हो जहॉ से उसने प्रमाण पत्र की मांग की है।

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति मूल रूप से उन जिलों के स्थाई निवासी हैं, जो जिले, राज्य पुनर्गठन के बाद मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है, को मध्यप्रदेश से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(2) उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों को मध्यप्रदेश राज्य के उस जिले/अनुभाग से ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिस जिले/अनुभाग का वह/उनका परिवार स्थाई निवासी है।

(3) जो व्यक्ति मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जिलों के निवासी हैं, उन्हें प्रवृजन संबंधी नीचे उल्लेखित कंडिका–3 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।

3. <u>प्रवृजन संबंधी प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था :–</u>

राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के मूल परिपत्र क्रमांक एफ 1/स.प्र.वि./आ.प्र. दिनांक 1–8–1996 (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये) एवं परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/आ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च, 1997 (अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) की कंडिका–15 एवं 16 विलोपिता की जाती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति/उनका परिवार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने के वर्ष 1950 के बाद तथा अन्य पिछड़े वर्गो के के जो व्यक्ति/परिवार अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों की सूची अधिसूचित करने के वर्ष 1984 के बाद अन्य राज्यों से प्रवृजित होकर मध्यप्रदेश में आकर बस गये है, वे अन्तर्राज्यीय प्रवृजन की श्रेणी में आते हैं।

(1) उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य से प्राप्त करना होगा, जिस राज्य से उनका मूल रूप से संबंध है।

(2) किन्तु यदि इस श्रेणी के आवेदक, यदि उनके माता–पिता को मूल राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उसके आधार पर आवेदक को एक पृथक निर्धारित प्रारूप **'तीन'** में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। बशर्ते उसकी जाति मध्यप्रदेश मे भी उसी प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल हो जिसमें उसके मूल राज्य में अधिसूचित हैं।

(3) राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसे जाति प्रमाण पत्र आवश्यक जॉच उपरान्त पूर्ण सावधानी के साथ ही जारी किये जा सकेंगे और आवश्यक समझे तो उनके मूल राज्य से इसकी जॉच भी करायी जा सकती है।

(3) **भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश No. BC-16014/1/82-SC&BCD-1 दिनांक 6 अगस्त, 1984 के अनुसार उपरोक्तानुसार प्रारूप–तीन में जारी जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण की सुविधा उसी राज्य से प्राप्त होगी, जिस राज्य से आवेदक का मूल रूप से संबंध है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण सुविधा की**

पात्रता नहीं होगी। किन्तु यह जाति प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार की सेवाओं/संस्थाओं आदि में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये मान्य होंगे।

4. (1) इन निर्देशों के साथ आवेदन पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र/घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। कोई भी राजस्व अधिकारी इससे भिन्न प्रारूप में आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र की मांग नहीं करेंगे और न ही भिन्न प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(2) प्रारूप 'एक' एवं 'दो' एक साथ (आगे–पीछे) मुद्रित किये जा रहे हैं। इन्हें एक साथ जारी किया जाए।

5. जाति प्रमाण पत्र समय–सीमा में जारी हो सके, इस दृष्टि से संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले में पदस्थ अन्य उप जिलाध्यक्षों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत कर इस कार्य हेतु उन्हें अनुविभागीय अधिकारी घोषित कर सकेंगे।

परन्तु जिले में पदस्थ अन्य उप जिलाध्यक्षों द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों पर जावक क्रमांक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय का ही अंकित किया जाएगा और उसी कार्यालय में इसका रिकार्ड व्यवस्थित रखा जाएगा। ताकि आवश्यकतानुसार उसका परीक्षण/पुष्टि की जा सके।

विशेष निर्देश

6. उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय इस कार्य से जुड़े अधिकारियों को निम्नलिखित विशेष निर्देशों को ध्यान रखा रखना आवश्यक है :–

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के छात्र–छात्राओं को शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की सूची मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से स्कूलों में उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही यह सूची सूचना पटल पर लगाएंगे। साथ ही पालक/अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें अवगत कराएंगे।

(2) स्कूलों के माध्यम से बनाये जाने वाले स्थाई जाति प्रमाण पत्र भी तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि के 6 माह के अंदर ही जारी किये जाएं।

(3) स्कूलों के माध्यम से स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा कक्षा 8वी तक प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को ही प्राप्त होगी। यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य स्कूल से स्थानांतरित होकर कक्षा–1 से 8 तक किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं और उसने पूर्व में किसी अन्य स्कूल के माध्यम से स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो उन्हें पुनः जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) कक्षा–8वी तक यदि किसी छात्र/छात्रा/व्यक्ति ने स्थाई जाति प्रमाण प्राप्त नहीं किया है तो इसके बाद उन्हें इस परिपत्र की कंडिका–2 (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाएं।

(5) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने परिवार के किसी सदस्य, पिता/चाचा/भाई/बहिन या दादा को पूर्व में जारी जाति प्रमाण

पत्र/शिक्षा/शासकीय सेवा या अचल सम्पत्ति का रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहिये जिससे उनके स्थाई निवास तथा जाति के दावे की राजस्व अधिकारी द्वारा जॉच कर पुष्टि की जा सके।

(6) स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक से उतने ही दस्तावेज लिये जाएं जिनसे उनके दावे की पुष्टि हो सके। आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। इसके अलावा यदि किसी आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) या उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, तो उसे यह लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए। राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर/कैम्प में, जॉच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिये। इसके लिये आवेदक/संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के संभ्रान्त व्यक्ति से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जाना चाहिए और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करनी चाहिए।

(7) विशेष परिस्थिति में ही आवश्यकता को स्पष्ट करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर 'प्रोविजनल' जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार के लिये जारी किया जा सकेगा जो अधिकतम 6 माह की अवधि के लिये ही मान्य होगा। किन्तु इस प्रमाण पत्र के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में लिया गया प्रवेश/सेवा/प्राप्त की गई अन्य सुविधा पूर्णतः ''प्रोविजनल'' होगी। यदि आवेदक जॉच के दौरान जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं और उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है तो उन्हें प्रोविजनल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दी गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाएगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(8) अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में संबंध में आय एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः जॉचकर्ता राजस्व अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारियों को यह पुष्टि करना आवश्यक है कि संबंधित आवेदक/उसका परिवार 'क्रीमिलियर' की श्रेणी नहीं आता है।

(9) किसी भी स्थिति में 'प्रोविजनल' जाति प्रमाण पत्र को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आधार नहीं माना जाएगा।

(10) **आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करें कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।**

(11) कई जातियो/उपजातियों के नामों में सूक्ष्म अंतर होने के कारण लोग गलत तथ्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का प्रयास करते हैं। अतः राजस्व अधिकारियों को यह भी सूक्ष्मता से देखना आवश्यक है कि आवेदक उसी जाति का सदस्य है, जिसका उसने दावा किया है और वह जाति उसी वर्ग की सूची में शामिल है, जिसका उसे जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

(12) किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार प्राप्त किया गया स्थाई जाति प्रमाण पत्र उसके जीवन पर्यन्त उपयोगी होगा। किसी भी प्रयोजन के लिये सिर्फ उसकी सत्यापित छायाप्रति मान्य की जाए। आवश्यकतानुसार मूल प्रति का अवलोकन/मिलान किया जा सकता है, किन्तु किसी भी स्थिति में मूल जाति प्रमाण पत्र स्कूल/कार्यालयों में जमा नहीं किया जाएगा।

7. उपरोक्त निर्देशों के तहत की गई कार्यवाही की समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने राजस्व अनुभाग के प्रकरणों की वर्ष में दो बार समीक्षा करेंगे तथा मार्च–अप्रेल माह में जिला कलेक्टर अपने जिले की समीक्षा कर पूर्व वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को प्रतिवर्ष 15 मई तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

8. जाति प्रमाण पत्र के कार्यों हेतु जिले में पदस्थ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अमले का सहयोग आवश्यक है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर मण्डल संयोजक एवं जिला स्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस कार्य के लिये मण्डल संयोजक माह में कम से कम दो दिन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

9. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों के पालन में शिथिलता बरती जाती है या उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत रहेंगे। जिन लोक सेवकों पर कार्रवाई का अधिकार जिला कलेक्टरों को नहीं है, ऐसे प्रकरण अनुशंसा सहित राज्य शासन अथवा सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जांए।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र के लेमिनेशन के खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के संबंधित विभागों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) द्वारा की जाती है। अतः छात्र–छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के लिये कोई शुल्क न लिया जाए। सीधे प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ सिर्फ शपथ–पत्र पर होने वाला खर्च स्वयं आवेदक वहन करेंगे इसके अतिरिक्त स्थाई (लेमिनेटेड) जाति प्रमाण पत्र के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(सुभाष डाफणे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट–एक

(परिपत्र दिनांक 1.8.1996 के निर्देश क्र. 3 देखें)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग .....
जिला ..... (म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने/राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है :–

1. (अ) आवेदक का पूरा नाम .....
.....

(ब) आवेदक के पिता का पूरा नाम .....
.....

2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से नाम .....
.....
संबंध जिसके लिये प्रमाण –पत्र मांगा पिता का नाम .....
.....
जा रहा है (उसका नाम, पिता का नाम जन्म तिथि .....
.....
एवं जन्म तिथि) आवेदक से संबंध .....
.....

3. निवास का पूरा पता :
(ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील, जिला सहित)
(अ) वर्तमान पता : .....
.....
.....
.....
(ब) स्थाई पता : .....
.....
.....
.....

4. आवेदक/आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है?.....
.....

5. यदि उक्त क्रमांक–4 में अंकित तिथि, वर्ष 1950 या उसके बाद की है तो –

(अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व वर्ष 1950 ग्राम/नगर का नाम.....
..... की स्थिति में निवास का पूरा पता. पटवारी ह0 नं0.....
.....

तहसील.....जिला .....
..... राज्य .....
.....

(ब) उक्त तिथि को उपरोक्त (अ) में दर्शित नाम .....
.....
पते पर निवास करने वाले परिवार के
मुखिया का नाम और आवेदक से संबंध । संबंध .....
.....

6. यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान .....
.....
परिवर्तन किया है तो उसका विवरण. .....
.....
(कहॉ–कहॉ रहे उसका पता एवं अवधि) .....
....

7. आवेदक की जाति/जनजाति का नाम .....
....
(उप जाति सहित)

8. संविधान (अनुसूचित जातियॉ) आदेश1950 अथवा संविधान (अनुसूचित जनजातियॉ) आदेश 1950 यह जाति क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के रूप में इस जिले के लिये विनिर्दिष्ट (अधिमान्य) है? यदि हॉ तो उसका क्रमांक. .....
.....
(आवेदक को ज्ञात न होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा अंकित किया जाए)

9. यदि आवेदक 1950 के बाद दूसरे राज्य से आया है तो उसके मूल राज्य में आवेदक की जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में अधिमान्य है।
(यदि ज्ञात हो तो क्रमांक अंकित करें). .....
.....

10. क्या इस आवेदन के प्रस्तुती के पूर्व नाम.....
.....
परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा जारी करने वाले
/भाई/बहिन/दादा के नाम से जाति कार्यालय का नाम .....
.....
प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? यदि हॉ जिले का नाम .....
.....
तो उसका विवरण एवं फोटो प्रति संलग्न जारी करने का दि0.....
.....
करें।

11. आवेदक द्वारा अपनी जाति तथा निवास .....
.....

संबंधी प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का विवरण .....
.....

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्र/ घोषणा पत्र का दिनांक. .....
.....

टीप :–(1) जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। अन्यथा राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड रिकार्ड से पुष्टि करें।

(2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ। मैं भली भॉति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान .....
दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर
तथा नाम

परिशिष्ट–एक
(परिपत्र दिनांक 12.3.97 के निर्देश क्र. 3 देखें)

अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग .....
जिला ..... (म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण/ शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:–

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) .....
.....

आवेदक के पिता का पूरा नाम (ब) .....
.....

2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से नाम .....
.....
संबंध जिसके लिये प्रमाण पत्र की पिता का नाम .....
..... आवश्यकता है(उसका नाम, पिता का जन्म तिथि .....
.....
नाम एवं जन्म तिथि) आवेदक से संबंध .....
.....

3. धर्म .....
.....

4. जाति एवं उप जाति जाति.....
.....
उपजाति .....
.....

5. निवास का पूरा पता :
(ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील, जिला सहित)
(अ) वर्तमान पता : .....
....
.....
(ब) स्थाई पता : .....
.....

6. आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है? .....
.....

7. यदि उक्त कॉलम नं0–6 में उल्लेखित तिथि दिनांक 26–12–1984 के बाद की है तो –
(अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व की स्थिति में निवास का पूरा पता .....
.....

.....

.....

(ब) उक्त तिथि को वहॉ निवास करने वाले परिवार .....

.....

के मुखिया का नाम और आवेदक से संबंध.

(स) यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन .....

.....

किया है तो कहॉ–कहॉ रहे उसका पता एवं अवधि .....

.....

8. राज्य शासन द्वारा घोषित की गई अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जाति/उपजाति/वर्ग समूह का क्रमांक.**(यदि ज्ञात हो तो)** .....

....

9. **व्यवसाय** – माता, पिता/पति यदि निम्नांकित में से कोई पद धारण करते हो तो जानकारी दी जाए :–

	स्थिति	माता	पिता/पति
क	संवैधानिक पद		
	पदनाम		
ख.	शासकीय सेवा (केन्द्र/राज्य)		
	पदनाम		
	वेतनमान (पद की श्रेणी सहित, यदि हो)		
	पद पर नियुक्ति का दिनांक		
	प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के समय आयु.		
ग.	सार्वजनिक उपक्रमों आदि में सेवा		
	संगठन का नाम		
	पदनाम/श्रेणी		
	वेतनमान		
	पद में नियुक्ति की तिथि		
घ.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं यूनीसेफ आदि की सेवा.		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा अवधि (तिथि अंकित करें दिनांक.....से .....तक)		
ड.	मृत्यु/स्थायी अक्षमता		
	अधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने से सेवा से हटने की तिथि		
	स्थायी अयोग्यता का विवरण		
च.	सशस्त्र सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बल (इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो सिविल पद धारण करते हों)		
	पदनाम		
	वेतनमान		

10. यदि व्यापार/उद्योग/व्यवसाय या अशासकीय सेवा करते हों तो उसका विवरण :–

(क) स्वयं का व्यवसाय (यदि वयस्क है तो) .....आय .....
.....

(ख) माता का व्यवसाय ..... .आय .....
.....

(ग) पिता/पति का व्यवसाय ..... आय .....
.....

11. सम्पत्ति का स्वामी –

(अ) कृषि भूमि (माता, पिता एवं अवयस्क बच्चों के) स्वामित्व मे

(i) सिंचित भूमि का क्षेत्र .....स्थान .....
.....

(ii) असिंचित भूमि का क्षेत्र .....स्थान.....
.....

(iii) वृक्षारोपण का क्षेत्र .....स्थान.....
.....

(उपरोक्त को राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, जो तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हो)

(ब) शहरी क्षेत्र में अथवा शहरी जमाव (Urban agglemeration) में भवन सम्पत्ति अथवा रिक्त भू–खण्ड–

(i) सम्पत्ति का स्थान .....
(ii) सम्पत्ति का विवरण .....
(iii) सम्पत्ति के उपयोग का प्रयोजन .....

12. आय/सम्पत्ति (Income/wealth) –

(i) सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय .....
(कृषि वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर)

(ii) क्या आवेदक करदाता है ?(हॉ/नहीं) .....
.

(यदि हॉ तो गत तीन वर्षों की आय कर
विवरण की प्रति संलग्न की जाए)

(iii) क्या आवेदक पर सम्पत्ति कर अधिनियम
के प्रावधान लागू होते हैं? (हॉ/नहीं) .....
..

(यदि हो तो विवरण देवें)

(iv) अन्य कोई विवरण .....
...

टीप :– (1)जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण

पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। अन्यथा राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड रिकार्ड से पुष्टि करें।

(2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

मै प्रमाणित करता हूॅ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है एवं मैं अन्य पिछड़े वर्ग में ''क्रीमीलेयर'' (सम्पन्न वर्ग) की परिधि में नहीं आता हूॅ और इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूॅ। मैं भली–भॉति जानता हूॅ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहूॅगा।

स्थान .....
दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

प्रारूप–'एक'

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक ....प्रमाण पत्र क्रमांक .....

जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी ग्राम/नगर..... तहसील.....जिला.....(.मध्यप्रदेश) .....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की सदस्य है।

स्थान.....
दिनांक .....

प्रमाणीकरण अधिकारी की हस्ताक्षर
नाम
पदनाम एवं मुहर

प्रारूप– 'दो

केन्द्र सरकार की संस्थाओं/सेवाओं में आरक्षण सुविधा के लिये जाति प्रमाण पत्र

क्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ग्राम/कस्बा .....तहसील.....जिला/संभाग..... .....मध्यप्रदेश, ... जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक ..... पर दर्ज है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुम्बई. रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनाजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1969, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित.
- संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनूसूचित जाति आदेश, 1964.
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनूसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1996.
- अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

राज्य –मध्यप्रदेश

स्थान :.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

प्रारूप–'तीन'

अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में प्रवृजन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिये

जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री..... .....निवासी ग्राम/शहर .....जिला.....राज्य/संघक्षेत्र.. .....की निवासी होकर सरल क्रमांक.....पर उल्लेखित जाति.....की/के सदस्य हैं। यह जाति निम्नलिखित आदेशों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित हैं:–

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुम्बई. रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनाजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1969, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित.
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनूसूचित जाति आदेश, 1964.
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनूसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1996.
- अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

निरंतर...

2/ यह प्रमाण पत्र.....द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री.....ग्राम/शहर.. .....जिला.....राज्य/संघक्षेत्र.....को क्रमांक..... .....दिनांक.....द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार .....राज्य/संघक्षेत्र में इनकी जाति .....क्रमांक..... .....पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है।

राज्य –मध्यप्रदेश
स्थान :..... हस्ताक्षर
दिनांक..... नाम/ पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

नोट :– य प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण/सुविधाओं के लिये मान्य नहीं है।

प्रारूप 'एक'

(निर्देश दिनांक 12–3–1997 की कंडिका क्र.8 (2)देखें)

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिये स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक .....
...
प्रमाण–पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री./श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी ग्राम/शहर .....
तहसील.....जिला.....मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है, जो सूची के क्रमांक.....पर अंकित है।

श्री.....और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....
.....संभाग..... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.7–26–93–1–आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ..... हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक

(सील)

प्रारूप–तीन

अन्य राज्यों से प्रवृजन कर मध्यप्रदेश में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये

जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक.....

..

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री श्री..... .....निवासी ग्राम / शहर .....तहसील.....जिला..... प्रदेश / संघक्षेत्र.....की निवासी होकर सरल क्रमांक.....पर उल्लिखित जाति..... .....की / के सदस्य हैं। यह जाति निम्नलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित हैं:–

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खण्ड–1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख 12011 / 68 / 93 बीसीसी(सी),दिनांक 10 सितम्बर, 1993.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खण्ड– 1 सं. 163, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 9 / 94–वीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 7 / 95–बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं.210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 44 / 96–बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर, 1996.
5. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.129 दिनांक 8 जुलाई 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 68 / 93–बीसीसी.
6. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.164 दिनांक 01 सितम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 12 / 96–बीसीसी.
7. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.236 दिनांक 11 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 99 / 94–बीसीसी.
8. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.239 दिनांक 03 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 13 / 97–बीसीसी .
9. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.166 दिनांक 03 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 12 / 96–बीसीसी .
10. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 68 / 93–बीसीसी .
11. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 68 / 98–बीसीसी .
12. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.270 दिनांक 6 दिसम्बर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 88 / 98–बीसीसी.
13. भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.71 दिनांक 4 अप्रेल,2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011 / 36 / 99–बीसीसी.

2 / यह प्रमाण पत्र.....द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री श्री.....ग्राम / शहर..... .....जिला.....राज्य / संघक्षेत्र.....को क्रमांक.....दिनांक..... .द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार ..... राज्य / संघक्षेत्र में इनकी जाति .....क्रमांक.....पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

3 / यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012 / 22 / 93–स्था,(एससीटी) दिनांक 8–9–1993 की अनुसूची के कॉलम –3 में उल्लिखित क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

राज्य–मध्यप्रदेश
दिनांक.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

मुहर

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक एफ 7–18/2000/एक/आ0प्र0 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–16/2000/एक/आ0प्र0 दिनांक 6–7–2000 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25–2–2003.

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–26/93/एक/आ0प्र0, दिनांक 30 जुलाई, 1999 द्वारा क्रीमीलेयर के लिये निर्धारित वार्षिक आय रूपये ''एक लाख'' में वृद्धि करते हुए परिपत्र क्रमांक एफ 7–16/2000/एक/आ0प्र0, दिनांक 6 जुलाई, 2000 द्वारा ''रूपये ''दो लाख'' प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। तद्नुसार क्रीमीलेयर संबंधी एकजायी निर्देश इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/एक/आ0प्र0, दिनांक 25 फरवरी, 2003 द्वारा जारी किये गये है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र क्रमांक 36033/5/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु आय सीमा रूपये 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष नियत की गई है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा भी अब यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध में क्रीमीलेयर हेतु वर्तमान निर्धारित आय सीमा रूपये **''दो लाख''** प्रतिवर्ष में वृद्धि करते हुए **रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष**

निर्धारित की जाए। तद्नुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7–18/2000/आ0प्र0/एक दिनांक 25 फरवरी, 2003 की कंडिका–6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र.	प्रवर्ग का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा	क्र.	प्रवर्ग का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
6.	आय/सम्पत्ति का आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियॉ	6.	आय/सम्पत्ति का आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियॉ
		(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से रूपये 2.00 लाख या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले 3 वर्षो से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गयी छूट की सीमा से अधिक है।			(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार) या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले 3 वर्षो से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गयी छूट की सीमा से अधिक है।

4/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा ''क्रीमीलेयर'' के लिए निर्धारित आय सीमा में जब–जब परिवर्तन होगा, वह आय सीमा राज्य के क्रीमीलेयर श्रेणी के लिए संशोधित मान्य की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/–
(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ 7–18/2000/एक/आ0प्र0 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2006

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय–भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म0प्र0, इन्दौर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री मध्यप्रदेश।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ ग्वालियर.
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
12. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल ।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म0प्र0 भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
15. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय,म0प्र0 भोपाल ।
16. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–7(1) 7(2) एवं 7(3), मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय–भोपाल।
17. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता/–
(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ 7–26/93/1/आ0प्र0 भोपाल,दिनांक 17 दिसम्बर,1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त विभाागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–शासकीय सेवाओं एवं मध्यप्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन निगमों,आयोगो आदि में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण एवं सुविधायें ।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 24/7/1/आ.से./85, दिनांक 10–1–85 एवं 5 मार्च, 85.

संदर्भित परिपत्र दिनांक 10 जनवरी, 85 द्वारा पिछड़े वर्गो के आरक्षण के संबध में निर्देश प्रसारित किये गये थे । इस आदेश को संदर्भित आदेश दिनांक 5 मार्च, 85 द्वारा स्थगित कर दिया गया था । उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 930/1990 में पारित आदेश दिनांक 16–11–92 में दिये गये निर्देशों के पालन में अब शासन द्वारा आदेश दिनांक 10 जनवरी, 85 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :–

1/ (अ) शासकीय सेवाओं, पब्लिक सेक्टर, अंडर टेकिंग्ज, निगमों/स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों आदि की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाएं ।

(ब) अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 14 प्रतिशत का यह आरक्षण केवल उन्ही पदों एवं सेवाओं में दिया जायेगा, जिसमें सीधी भरती से पद भरे जाते है । अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी विस्तृत नियम/निर्देश अलग से जारी किये जायेगें ।

2/ वर्ष के दौरान भरे जाने वाले पदों ही यह आरक्षण लागू होगा । किसी भी वर्ष में कुल आरक्षित पदों का प्रतिशत अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 50 प्रतिशत की यह सीमा वर्ष भर में की गई नियुक्तियों के आधार पर निर्धारित की जायेगी न कि संबंधित वर्ग श्रेणी अथवा सेवा के कुल स्वीकृत पदों के आधार पर ।

3/ 'होरिजेन्टल' आरक्षण के अन्तर्गत भरे जाने वाले पदों (भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग) को उसी जाति/वर्ग/समुदाय के आरक्षित प्रतिशत के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा, जो जिस जाति/वर्ग एवं समुदाय का होगा ।

4/ 'क्रीमीलेयर' (संपन्न वर्ग) में आने वाले अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा । 'क्रीमी–लेयर' का प्रतिबंध कारीगरों एवं पैतृक धंधों में लगे लोगों पर लागू नहीं होगा । 'क्रीमी–लेयर' के संबंध में में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड, वर्तमान में राज्य शासन द्वारा भी एतद् द्वारा लागू किया जाता है । इन मापदण्डों को भविष्य में राज्य शासन द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा ।

5/ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6/ खुली प्रतियोगिता के आधार पर सफल हुए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित कोटे में समायोजित नहीं माना जाय ।

7/ रोस्टर प्रणाली अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में भी अपनाई जाये ।

8/ उपरोक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होगा । इस आदेश के जारी होने से पूर्व जिन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही हैं, उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा ।

शासन के उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उपरोक्त पैरा–1(अ) में उल्लेखित समस्त सेवाओं से संबंधित नियमों में भी आवश्यक प्रावधान किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
एम0एम0 श्रीवास्तव
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल 462004

क्रमांक एफ 7–80/97/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 4–7–1998

प्रति ,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–चयन/पदोन्नति समिति में अल्पसंख्यक वर्ग का एक प्रतिनिधि शामिल करें बाबत् ।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 175/318/87/1–4/आ0प्र0/एक दिनांक 4 अप्रेल, 1988 द्वारा आदेशित किया गया था कि जब भी भरती की जाय, पांच या अधिक रिक्त पदों की पूर्ति की जाने पर, चयन समिति में अल्पसंख्यक वर्ग का एक प्रतिनिधि रखा जाय । इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 27 नवम्बर,1997 द्वारा भी उक्त आदेशों का समुचित पालन किये जाने बाबत् स्मरण कराया गया है ।

2/ 'मध्यप्रदेश कौमी खिदमतगार सोसायटी' द्वारा राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि चयन समिति में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी को नहीं रखा जा रहा है । यह स्थिति उचित नहीं है, अतः पुनः आदेशित किया जाता है कि सीधी भरती के मामलों में नियुक्ति किये जाने के लिए गठित चयन समिति में अल्पसंख्यक वर्ग का एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से रखा जाय । यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो चयन समिति गठित किये जाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ता/–
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
म0प्र.0 शासन
सामान्य प्रशसन विभाग

क्रमांक एफ 7–80/97/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 4–7–1998

प्रतिलिपिः–

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
   सचिव, लोक आयुक्त, संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल।
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश,राजभवन, भोपाल।

सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल ।

3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अवर सचिव, (स्थापना) अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(जी0एल0 अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल 462004

क्रमांक एफ 7–18/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 05 अगस्त 05

प्रति ,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समंस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन की सूचना ।

संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियॉ) आदेश (द्वितीय संशेधन) अधिनियम, 2002 पारित कर मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि क्रमांक–36 को प्रतिस्थापित करते हुए 'महार, मेहरा, मेहर' जातियों के साथ 'महारा' जाति को भी जोड़ा गया है तथा प्रविष्टि क्रमांक–48 'सरगरा' जाति को जोड़ा गया है । इस संबंध में भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक–73 दिनांक 18 दिसम्बर,2002 में प्रकाशित अधिसूचना का उद्धरण संलग्न है ।

2/ उसी प्रकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 पारित कर मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि क्रमांक–21, 32 एवं 39 पर अंकित जनजातियॉ क्रमशः 'कीर', 'मीना' एवं पारधी' को सूची से हटा दिया गया है । इस संबंध में भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक–10 दिनांक 8 जनवरी,2003 में प्रकाशित अधिसूचना का उद्धरण संलग्न है ।

3/ निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सर्वसंबंधितों को भी उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः–परिशिष्ट'अ'

हस्ता/–
(सुभाष डाफणे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

:

पृ0क्र0 एफ 7–18/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनांक 05 अगस्त,05

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
5. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,म0प्र0 भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
12. निदेशक,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309निर्माण सदन, सीजीओ. बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय,फ्लेट न. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी कालोनी, पुंजा गुप्ता हैदराबाद ।
14. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश,जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
16. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
18. आयुक्त/संचालक, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं ।

हस्ता/–
(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(1) अनुसूचित जातियॉ
भारत का राजपत्र

संख्या–73

नई दिल्ली,दिनांक 18 दिसम्बर, 2002

The constitution (Scheduled Castes) order (Second Amendment) Act]2002

(1) Amenment to the Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 . IN ART IX-Madhya pradesh

(1) for entry 36 substitute-

"36. Mahar, Mehra, Mehar, Mehara,"

मध्यप्रदेश की सूची में क्रमांक 36 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् पढ़ा जाए –

36. 'महार,मेहरा, मेहर, महारा'

(!!) after entry 47, insert-

"48 sargara."

(1) अनुसूचित जातियॉ
भारत का राजपत्र

संख्या–10

नई दिल्ली,दिनांक 18 दिसम्बर, 2002

The Scheduled Casts and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act,2002.

(1) in the Constitution (Scheduled tribes) orders 1950-

(h) in PART VIII&Madhya Pradesh, omit "entries" 21,32 and 39

(एच) भाग आठ–'मध्यप्रदेश की सूची में अंकित क्रमांक 21,32 एवं 39 विलोपित किया जाये'

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल 462004

क्रमांक एफ 7–18/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 17 अगस्त 05

प्रति ,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समंस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–कीर, मीना एवं पारधी जाति के प्रमाण पत्र धारियों के संबंध में ।
संदर्भः–समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 5 अगस्त, 2005

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 21, 32 एवं 39 पर अंकित क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है । उक्त अधिसूचना का उद्धरण इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रेषित किया गया है ।

2/ राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से उक्त निर्णय पर पुनर्विचार कर इन तीनों जातियों को पूर्ववत् सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई है । अतएवं भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि 8–1–2003 से राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के अग्रेषण की तिथि दिनांक 5–8–05 के बीच उक्त तीनों जातियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रापत किये गये नियोजन/किसी संस्थाओं में प्रवेश संबंधी प्रकरणें में तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जाए, जब तक राज्य शासन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता ।

हस्ता/–
(सुभाष डाफणे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ 7–18/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनांक 17 अगस्त,05

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन,मध्यप्रदेश,भोपाल।
2. अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. प्रमुख। सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
5. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
7. महानिदेशक,प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, म0प्र0 भोपाल।
11. सचिव,म0प्र0 लोक सेवा आयोग, म0प्र0 ।
12. महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन ,सीजीओ, बिल्डिंग,52 ए अरेरा हिल्स–भोपाल।
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट ने.103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल द्वारकापुरी कालोनी, पुंजा गुप्ता हैदराबाद।
14. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
15. प्रमुख सचिव/सचिव,उप सचिव,म0प्र0 शासन,सामान्य प्रशासन विभाग।
16. आयुक्त जनसम्पर्क,मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण।/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
18. आयुक्त/संचालक आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं ।

हस्ता/–
(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल 462004

क्रमांक एफ 7–16/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 16 मई, 05

प्रति ,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समंस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्रों की जांच उच्च स्तरीय छानबीन समितियों से कराने बाबत्

संदर्भः–(1) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7–1/96/आ0प्र0/एक दिनांक 8–9–97 (अनुसूचित जनजाति)
(2) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7–1/96/आ0प्र0/एक दिनांक 8–9–97 (अनुसूचित जाति)
(3) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7–1/96/आ0प्र0/एक दिनांक 8–9–97 (अन्य पिछड़ा वर्ग)

सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेशों द्वारा क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के जाति प्रमाण पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समितियों का गठन किया गया है तथा छानबीन समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली जांच प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है ।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कई उम्मीदवार फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इससे इन वर्गो के वास्तविक उम्मीदवारों का हित प्रभावित होता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभाग/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका परीक्षण अपने स्तर पर ही प्रारंभ कर दिया जाता है ।

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उच्च स्तरीय छानबीन समितियों को ही सौंपा गया है । विभागीय/संस्था स्तर पर न तो इसका परीक्षण संभव है और न ही वैधानिक है । अतः सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई जाति प्रमाण पत्र सन्देहास्पद प्रतीत होते है या किसी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उस जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर, प्रकरण तत्काल संबंधित उच्च स्तरीय छानबीन समिति को जांच हेतु सौंपा जाए। छानबीन समिति द्वारा
पारित निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए।

4/ कृपया इन निर्देशों को अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्यालय एवं संचालित समस्त तकनीकी/मेडिकल कालेज तथा विश्वविद्यालयों को पृष्ठांकित करें ।

हस्ता/–
(सुभाष डाफणे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7–16/2005/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 16 मई, 05

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
5. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,म0प्र0 भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
12. निदेशक,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309निर्माण सदन, सीजीओ. बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय,फ्लेट न. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी कालोनी, पुंजा गुप्ता हैदराबाद ।
14. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश,जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
16. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

हस्ता/–
(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल 462004

क्रमांक एफ 7–24/2000/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनाक 6/7/2000

प्रति ,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समंस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र क्रीमीलेयर से छूट संबंधी।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–26/93/आ0प्र0/एक, दिनांक 8–3–94 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों की जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र 'क्रीमीलेयर' के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए है। इस परिपत्र की कंडिका–3 (7) में यह स्पष्ट किया गया है कि 'क्रीमीलेयर' (सम्पन्न वर्ग) में आने वाले अन्य पिछड़े के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा । क्रीमीलेयर का प्रतिबंध कारीगरों एवं पैतृक धंधों में लगे लोगों पर लागू नहीं होगा ।

2/ कारीगरों एवं पैतृक धंधों में लगें वर्गो के संबंध में क्रीमीलेयर से छूट प्रदान करने के बिन्दु पर शासन द्वारा विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि शिल्पकार, दस्तकार, एवं पैतृक धंधों में कार्यरत वर्गो के अंतर्गत धोबी, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई एवं जुलाहा/बुनकर मान्य करते हुए यह छूट हिन्दू धर्म एवं मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग की इन जातियों के व्यक्तियों को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों तथा केवल अपने पैतृक धंधों में ही कार्यरत हों ।

3/ यह छूट इन जातियों के नौकरी तथा व्यवसाय आदि करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगी ।

क्र0	म.प्र. राजपत्र में दिनांक 5–4–97 को प्रकाशित सूची क्रमांक	जाति,उपजाति वर्ग
1.	6 एवं 87 (14)	बढ़ई,सुतार,दवेज,कुन्देर (विश्वकर्मा) बढ़ई (कारपेंटर)।
2.	20 एवं 87(6)	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक ।

3.	25 एवं 87 (17)	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार,गरवार, डुकर, कोल्हाटी, मोमिन जुलाहा ।
4.	29 एवं 87 (18)	लोहार, लुहार, लोहपीटा गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा), लुहार, नागौरी।
5.	38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर)।
6.	45 एवं 87 (15)	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली,नाव्ही, उसरेटे, हज्जाम (बारबर)।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/–
(पी0सी0 सूर्य)
उप सचिव

पृ0क्र0 एफ7–24/2000/आ0प्र0/एक भोपाल,दिनांक 6/7/2000

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन,मध्यप्रदेश,भोपाल।
2. सचिव,म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल।
5. सचिव,म0प्र0 लोक सेवा आयोग,मध्यप्रदेश, ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री राज्यमंत्री/म0प्र0शासन।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पदाधिकारी,म0प्र0 भोपाल।
8. सचिव, निर्वाचन अधिकारी/पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
9. रजिस्ट्रार,म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म0प्र0 जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महालेखाकार,म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
14. आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल।
15. अवर सचिव, स्थापना/अधी0 अभिलेख शाख/मुख्य लेखाधिकारी,म0प्र0 भोपाल,मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय–भोपाल।

17. अध्यक्ष,म0प्र0 कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल ।
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
19. विकास आयुक्त,म0प्र0 भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता/–
(पी0सी0 सूर्य)
उप सचिव